



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 2807 /SEIAA/23

Date: 8/7/23

प्रति,

मेसर्स दीप श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.,

निदेशक, श्री लीलाधर वर्मा,

निवासी फ्लेट नं. 402, सुखदाम अपार्टमेंट 16, मधुबन कॉलोनी,
आर.टी.ओ रोड, इंदौर (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र. 9546/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दीप श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., निदेशक, श्री लीलाधर वर्मा, निवासी फ्लेट नं. 402, सुखदाम अपार्टमेंट 16, मधुबन कॉलोनी, आर.टी.ओ रोड, इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एंड एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 12000 व एम सेण्ड 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 33/1/4/3/1, ग्राम रावद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन। **Prescribing of TOR**

संदर्भ:-769वी SEIAA बैठक दिनांक 01.02.2023 एवं 619वी SEAC समिति बैठक दिनांक 12.01.2023

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 619वी बैठक दिनांक 12.01.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ अतिरिक्त ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।